

126

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर के नयायालय में

निं 2259-007-16

1. जितेन्द्र पिता कन्हैयालाल, जाति मठ्ठा, आयु 30 वर्ष
 2. संजय पिता कन्हैयालाल, जाति मठ्ठा, आयु 35 वर्ष
 3. कांताबाई पति कन्हैयालाल, जाति मठ्ठा, आयु 55 वर्ष
 4. कन्हैयालाल पिता सुखराम, जाति मठ्ठा, आयु 60 वर्ष
- सभी निवासीयान—ग्राम बछडावदा

तह. व जिला धार निगरानीकर्ता

बनाम

योगेन्द्रसिंह पिता रामसिंह, जाति मठ्ठा, आयु 52 वर्ष
धंधा कृषि निवासी—ग्राम बछडावदा

तह. व जिला धार निगरानीगृहिता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं. 1959 के तहत

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय वृत्त-4 धार जिला धार के द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/बी.-121/15-16 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 16/06/2016 में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी।

चि. नं. 15.
6-7-16
2016


06.7.16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2259-पीबीआर/16

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील धार जिला धार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, जिला धार को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 7-1-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>